# *धारणीय वित्त और वित्तीय समावेशन के माध्यम से आर्थिक संवृद्धि को प्रोत्साहन* *

*स्वामीनाथन जे*

श्री वी जी शेखर, प्राचार्य, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, बैंकों के प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के प्रमुख, सीएबी के संकाय सदस्य, देवियो और सज्जनो! नमस्कार!

आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हेतु मुझे आमंत्रित करने के लिए, मैं सीएबी को धन्यवाद देता हूं, जो वित्तीय संस्थानों की जिम्मेदारियों और एक बेहतर, अधिक टिकाऊ दुनिया के लिए हमारी सामूहिक दृष्टि के सामने खड़ी है। मैं, सम्मेलन का विषय - प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण - पर आने से पहले धारणीय वित्त के पहलू पर संक्षेप में चर्चा करता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि इन दोनों के बीच एक मजबूत पारस्परिक संबंध है।

धारणीय वित्त, जिसे अक्सर जिम्मेदार या हरित वित्त के रूप में जाना जाता है, एक ऐसी अवधारणा है जिसने हाल के वर्षों में अत्यधिक लोकप्रियता हासिल की है। सीधे शब्दों में कहें तो यह उन व्यवसायों और परियोजनाओं का वित्त-पोषण है जो न केवल आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देते हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समानता और जवाबदेह अभिशासन को भी बढ़ावा देते हैं।

धारणीय वित्त के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां जलवायु परिवर्तन, सामाजिक असमानताएं और अभिशासन संबंधी मुद्दे अर्थव्यवस्थाओं और समाजों की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण खतरे पैदा करते हैं।

उदाहरण के लिए, भारत में ही हम इनमें से कुछ जोखिमों को साकार होते हुए देख सकते हैं। अपनी भौगोलिक, पर्यावरणीय और आर्थिक विशेषताओं के कारण भारत विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है। ऑनलाइन स्रोतों के अनुसार, 30 जून 2023 तक अकेले भारत में 181 दिनों में से 143 दिनों में चरम मौसम की घटनाओं का अनुभव हुआ।[1] तापमान परिवर्तन के साथ मानसून पैटर्न में परिवर्तनशीलता फसल उत्पादन को प्रभावित करती है और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करती है। कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी भारत में जलवायु परिवर्तन का आर्थिक प्रभाव काफी हो सकता है। इन जोखिमों को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वित्तीय सेवा उद्योग के नजरिए से, धारणीय वित्त इन जोखिमों को कम करने, सकारात्मक बदलाव लाने और दीर्घकालिक समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है।

यहां तक कि दुनिया भर में, हम धारणीय वित्त की दिशा में एक उल्लेखनीय बदलाव देख रहे हैं। सरकारें, विनियामक निकाय और अंतरराष्ट्रीय संगठन धारणीय वित्त प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मानक, दिशानिर्देश और प्रोत्साहन स्थापित करने में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। जवाबदेह बैंकिंग[2] के लिए संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत और जलवायु संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण पर टास्क फोर्स (टीसीएफडी) जैसी पहल वैश्विक स्तर पर बदलाव ला रही हैं।

दुनिया भर में वित्तीय संस्थान अपने निवेश और ऋण देने के निर्णयों में ईएसजी मानदंडों को एकीकृत कर रहे हैं, जो इस बढ़ती मान्यता को दर्शाता है कि टिकाऊ व्यवसाय अधिक लचीले, लाभदायक और तेजी से जागरूक उपभोक्ता आधार के मूल्यों के साथ संरेखित होते हैं। वैश्विक धारणीय वित्त बाजार के 2021 में 3.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 20313 तक 23 ट्रिलियन[3] अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है, और भारत में, सतत संवृद्धि की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ने के कारण हाल के वर्षों में धारणीय वित्त ने महत्वपूर्ण गति प्राप्त की है।

---

* श्री स्वामीनाथन जे, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक का भाषण - 12 अक्तूबर 2023 - कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), पुणे में आयोजित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण सम्मेलन में।

1 downtoearth.org.in के अनुसार, "देश में 1 जनवरी से 30 जून 2023 तक 181 दिनों में से 143 दिनों में चरम मौसम की घटनाओं का अनुभव हुआ, जिसमें 651 लोगों की जान चली गई और 1 मिलियन हेक्टेयर (हेक्टेयर) फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ" मौसम पर भारत का एटलस, 1 जुलाई 2023, www.downtoearth.org.in/weather_disasters_india/india.html (आखिरी बार 8 अक्तूबर 2023 को देखा गया)

2 "जिम्मेदार बैंकिंग के सिद्धांत सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन और स्वास्थ्य पर सामूहिक रूप से कार्रवाई में तेजी लाने के लिए बैंकों के लिए नया मार्ग बनाते हैं।" संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, www.unep.org/news-and-stories/press-release/principles-responsible-banking-build-new-pathway-banks-collectively (अंतिम बार 8 अक्तूबर 2023 को देखा गया)

3 "धारणीय वित्त में निवेश का उदय।" भारतीय उद्योग परिसंघ, 12 अप्रैल 2023, www.ciiblog.in/sustainable-finance/। (अंतिम बार 8 अक्तूबर 2023 को एक्सेस किया गया)।

यह उल्लेखनीय है कि भारत की अध्यक्षता के तहत जी20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा ने धारणीय वित्त को बढ़ाने के लिए कार्रवाई करने हेतु जी20 नेताओं की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।[4] उन्होंने धारणीय वित्त कार्य दल (एसएफडब्ल्यूजी) की सिफारिशों का समर्थन किया, जिसमें अन्य बातों के अलावा, देश की परिस्थितियों के अनुरूप संक्रमण गतिविधियों के लिए सहयोग सुनिश्चित करते हुए जलवायु वित्त के लिए संसाधनों के समय पर और पर्याप्त जुटाव का समर्थन करने वाले तंत्र शामिल थे।[5]

**आरबीआई की पहल**

अपनी ओर से, भारतीय रिज़र्व बैंक सक्रिय रूप से बैंकिंग क्षेत्र के भीतर हरित और धारणीय वित्त के महत्व को बढ़ावा दे रहा है। इस प्रयास में धारणीय वित्त से जुड़े अवसरों और चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के दिशानिर्देश, निर्देश और प्रकाशन शामिल किए गए हैं।

दिसंबर 2007 की शुरुआत में, आरबीआई ने इस प्रयास में वित्तीय संस्थानों की केंद्रीय भूमिका पर जोर देते हुए,[6] बैंकों को धारणीय संवृद्धि को मज़बूत बनाने के लिए बोर्ड-अनुमोदित कार्य-योजना स्थापित करने के निर्देश दिए।

अभी हाल ही में, मई 2021 में, आरबीआई ने अपने विनियमन विभाग के भीतर 'धारणीय वित्त समूह' (एसएफजी) की स्थापना करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। यह विशेष इकाई जलवायु परिवर्तन से संबंधित वित्तीय जोखिमों निपटने और धारणीय वित्त और जलवायु जोखिम के क्षेत्र में विनियामक पहल का नेतृत्व करने के लिए बनाई गई थी। एसएफजी धारणीय वित्त और जलवायु जोखिम से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक-निर्धारण निकायों, केंद्रीय बैंकों, अन्य वित्तीय क्षेत्र विनियामकों और भारत सरकार के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है।

जुलाई 2022 में, आरबीआई ने इस महत्वपूर्ण एजेंडे को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त पर एक चर्चा पत्र जारी किया। इसके बाद अप्रैल 2023 में हरित जमाराशि की स्वीकृति के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई। भारतीय रुपयों में ये ब्याज-युक्त मीयादी जमा विशेष रूप से हरित वित्त पहल को वित्तपोषित करने के लिए निर्धारित की गई हैं, जिसमें जलवायु जोखिम शमन, जलवायु अनुकूलन/लचीलापन और संबंधित उद्देश्यों पर केंद्रित परियोजनाएं शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य देश में हरित वित्त पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण और वृद्धि करना है, जो भारत में अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के प्रति जागरूक वित्तीय क्षेत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

**प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण और वित्तीय समावेशन**

अब मैं आपकी विशेषज्ञता के क्षेत्र यानी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण पर आता हूं जो भारत में वित्तीय समावेशन का एक महत्वपूर्ण घटक है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि आबादी के हाशिए पर रहने वाले और वंचित वर्गों की औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच हो।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुआ है, जो बैंकिंग प्रणाली से ऋण प्रवाह के एक महत्वपूर्ण पहलू में बदल गया है। 1960 के दशक में शुरू हुए, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण की कल्पना उन प्रमुख क्षेत्रों की ओर ऋण को निर्देशित करने के एक उपकरण के रूप में की गई थी जिन्हें समष्टि आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों के साथ संरेखित करते हुए संस्थागत ऋण द्वारा अनदेखा किया गया था। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की संरचना और उनसे जुड़े लक्ष्य बदलते आर्थिक परिदृश्य और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की प्रतिक्रिया में विकसित हुए हैं। प्रारंभ में, इसमें कृषि और लघु उद्योग शामिल थे, लेकिन समय के साथ, इसका विस्तार एमएसएमई, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों को शामिल करने के साथ-साथ बैंकों की व्यापक श्रेणी पर भी लागू हुआ। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम बार सितंबर 2020[7] में अद्यतन किया गया

[4] जी20 (2023), जी20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा, जी20 का पैराग्राफ 25 यहां उपलब्ध है: https://www.g20.org/content/dam/gtwenty/gtwenty_new/document/G20-New-Delhi-Leaders-Declaration.pdf (अंतिम बार 8 अक्तूबर 2023 को एक्सेस किया गया)।

[5] *तीसरी जी20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक,* http://www.g20.utoronto.ca/2023/230718-finance.html

[6] कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, धारणीय संवृद्धि और वित्तीय रिपोर्टिंग पर आरबीआई परिपत्र डीबीओडी सं.डीआईआर. बीसी. 58/13.27.00/2007-08, दिनांक 20 दिसंबर 2007, https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=3987&Mode=0

[7] प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) - लक्ष्य और वर्गीकरण पर मास्टर दिशानिर्देश आरबीआई परिपत्र FIDD.CO.Plan.BC.5/04.09.01/2020-21 दिनांक 4 सितंबर 2020, - https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/MDPSL803EE903174E4C85AFA14C335A5B0909.PDF.।

था, जिसमें स्टार्ट-अप को ऋण देने, छोटे और सीमांत किसानों और कमजोर वर्गों के लिए लक्ष्य बढ़ाने और विभिन्न प्रकार के बैंकों के लिए सुसंगत निर्देशों सहित विभिन्न समायोजन पेश किए गए थे।

अपनी ओर से, बैंकों ने भी 31 मार्च 2023 तक 44.7 प्रतिशत की उपलब्धि दर के साथ, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण लक्ष्यों को पूरा करने में काफी प्रगति की है। हालांकि, एमएसएमई, महिला उद्यमियों और कृषि जैसे क्षेत्रों में ऋण अंतराल बना हुआ है, जो इस बात को रेखांकित करता है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण को निरंतर महत्व दिया जाए।

**प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण और धारणीय वित्त**

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण धारणीय वित्त से कैसे जुड़ता है? इस बात की सराहना करने की आवश्यकता है कि धारणीय वित्त और वित्तीय समावेशन अलग या दूर के क्षेत्र नहीं हैं। इसके विपरीत, वे आपस में जुड़े हुए हैं और कई तरीकों से एक-दूसरे को मजबूत कर सकते हैं। वे लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देने के समान उद्देश्य साझा करते हैं। धारणीय वित्त का उद्देश्य पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियों का समाधान करना है, जबकि वित्तीय समावेशन का उद्देश्य व्यक्तियों और समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसके अलावा, वित्तीय समावेशन बीमा उत्पादों और बचत तंत्रों तक पहुंच प्रदान करके पर्यावरण और जलवायु जोखिमों के प्रति संवेदनशील आबादी के लचीलेपन को बढ़ा सकता है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण दिशानिर्देश प्राथमिकता क्षेत्रों की आठ श्रेणियां निर्दिष्ट करते हैं, जैसे, ( i ) कृषि; (ii) एमएसएमई; (iii) निर्यात ऋण; (iv) शिक्षा; (v) आवास; (vi) सामाजिक अवसंरचना; (vii) नवीकरणीय ऊर्जा; और (viii) अन्य। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण श्रेणियों के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन से पता चलता है कि लगभग इन सभी श्रेणियों में स्थिरता के तत्व हैं।

प्रमुख क्षेत्रों को बढ़ावा देने और महत्वपूर्ण सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण नीतियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन और विस्तार हुए हैं। उदाहरण के लिए, अप्रैल 2015 में, सौर, पवन और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के तहत 'नवीकरणीय ऊर्जा' को एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में पेश किया गया था। सौर-आधारित बिजली जनरेटर, सूक्ष्म-पनबिजली संयंत्र और गैर-पारंपरिक ऊर्जा-आधारित सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे उद्देश्यों के लिए उधारकर्ताओं को ₹15 करोड़ तक के ऋण आवंटित किए गए थे। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सीमित ऋण उठाव को ध्यान में रखते हुए, इस श्रेणी के तहत ऋण सीमा को बाद में बढ़ाकर ₹30 करोड़ कर दिया गया। व्यक्तिगत परिवार प्रति उधारकर्ता ₹10 लाख तक के ऋण के लिए पात्र थे।

इसी तरह, देश के संवृद्धि और रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कृषि क्षेत्र को समर्थन देने के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण का विस्तार किया गया। स्टैंड-अलोन सौर कृषि पंपों की स्थापना, ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौर्यीकरण, और बंजर/परती भूमि या किसानों के स्वामित्व वाली कृषि भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए किसानों को बिना किसी विशिष्ट सीमा के ऋण शामिल किया गया, जिससे टिकाऊ कृषि पद्धतियों को और बढ़ावा मिलेगा।

आर्थिक और सामाजिक विकास के एक आवश्यक चालक एमएसएमई क्षेत्र में, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र वर्गीकरण के लिए कोई क्रेडिट सीमा नहीं है। इसमें जल आपूर्ति, अपशिष्ट प्रबंधन और नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करके विद्युत उत्पादन जैसी गतिविधियों में लगे एमएसएमई को ऋण शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने और अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक संवृद्धि में योगदान देने में सामाजिक बुनियादी ढांचे के महत्व को पहचानता है। स्कूलों की स्थापना, पेयजल सुविधाओं, स्वच्छता सुविधाओं और घरेलू स्तर पर जल सुधार जैसी पहलों के लिए प्रति उधारकर्ता ₹5 करोड़ तक के ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण वर्गीकरण के लिए पात्र हैं। टियर II से टियर VI केंद्रों में 'आयुष्मान भारत' के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रति उधारकर्ता ₹10 करोड़ तक के ऋण भी इस श्रेणी में शामिल हैं।

इस प्रकार, भारत में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण दिशानिर्देश एक गतिशील और उत्तरदायी ढांचे के रूप में विकसित हुए हैं जो प्रगति, स्थिरता और समावेशिता के प्रति देश की प्रतिबद्धता को

दर्शाता है। पिछले कुछ वर्षों में, ये दिशानिर्देश बदलते आर्थिक परिदृश्य और उभरती राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप बन गए हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो गया है कि वित्तीय संस्थान समावेशी संवृद्धि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

**निष्कर्ष**

वित्तीय क्षेत्र में प्रमुख सहभागियों के रूप में बैंक, समावेशी संवृद्धि के एजेंडे को आगे बढ़ाने में एक अपरिहार्य जिम्मेदारी निभाते हैं, जो देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए जरूरी है। इसलिए, बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के रूप में, देश के वित्तीय परिदृश्य को आकार देने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। यह केवल विनियामक आवश्यकताओं का पालन करने के बारे में नहीं है बल्कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण ढांचे के पीछे की भावना को अपनाने के बारे में है। यह समाज के वंचित और हाशिए पर मौजूद वर्गों तक पहुंचने की अनिवार्यता को पहचानने, एमएसएमई को सशक्त बनाने, नवीकरणीय ऊर्जा पहल को बढ़ावा देने और शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के बारे में है।

स्थिरता सिद्धांतों को क्रियान्वित करने के लिए सक्रिय प्रयासों की आवश्यकता है। इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप केवल अनुपालन से आगे बढ़ें और अपने संगठन की ऋण नीतियों और प्रथाओं को धारणीय वित्त के सार से जोड़ें। इसमें वित्तीय समावेशन की संस्कृति को बढ़ावा देना भी शामिल है, जहां दिया गया प्रत्येक ऋण और वित्तीय सेवा राष्ट्र की बेहतरी में योगदान करती है। इसका मतलब ऐसे नवोन्मेषी वित्तीय उत्पाद और सेवाएं तैयार करना है जो विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की अनूठी जरूरतों को पूरा करते हैं, चाहे वह कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, एमएसएमई या सामाजिक बुनियादी ढांचा हो। इसमें यह समझना शामिल है कि आपके बैंक के कार्य पूरे भारत में लाखों व्यक्तियों और समुदायों के जीवन और आजीविका पर परिवर्तनकारी प्रभाव डाल सकते हैं।

मैं चाणक्य के एक उद्धरण के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा, जो मेरा मानना है कि इस अवसर के लिए बहुत उपयुक्त है:

*जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः|*
*स हेतुः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च ||*
*(Jal Bindu Nipaten Kramasha Puyate Ghatha.*
*Sa hetu sarva vidyana dharmasya cha dhansya cha.)*

*"जिस तरह पानी की छोटी-छोटी बूँदें, धीरे-धीरे बर्तन को भरती हैं। उसी तरह, ज्ञान, अच्छे कर्म या धन, धीरे-धीरे बढ़ते हैं।"*

मेरा मानना है कि पानी की छोटी-छोटी बूंदों के एकत्रित होने की तरह, सामूहिक रूप से, हमारे पास सभी के लिए अधिक समृद्ध, न्यायसंगत और टिकाऊ भविष्य की दिशा में एक रास्ता तय करने की शक्ति है। हम ऐसे समाज में योगदान दे सकते हैं जहां वित्तीय समावेशन एक वास्तविकता है, जहां आर्थिक अवसर सभी के लिए सुलभ हैं, और जहां स्थिरता सिर्फ एक लक्ष्य नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है।

इसके साथ ही मैं इस सम्मेलन की सफलता की कामना करता हूं। धन्यवाद।